निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ 1931 (शo)

(सं0 पटना 311) पटना, सोमवार 6 जुलाई 2009

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

6 मई 2009

सं0 272–विधि (न्याय) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या एल0आर0टी01–0/07/1279/जे0–पटना, दिनांक 08 अप्रील, 2009 ई0 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम,1950 (1951 का प्रथम कानून) की धारा 81 (बी) एवं 8 (क) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, किशोर कुणाल, प्रशासक–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, अधिनियम की धारा 83(1) और 83(2) के अन्तर्गत वर्त्तमान अधिनियम की उपविधियों में पर्षद् के कार्यों के बेहतर संचालन हेतु सम्यक् परामर्श के पश्चात् कतिपय संशोधनों को सार्वजनिक कर रहा हूँ और अधिनियम की धारा 83(3) के तहत उन्हें बिहार राज–पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रारूप अधिसूचना में वर्णित संशोधनों में जिन्हें कोई आपत्ति हो, वे प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि उनपर विचार कर उचित निर्णय लिया जाये।

आदेश से,

किशोर कुणाल,

प्रशासक–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् की उप–विधियों में प्रस्तावित संशोधन :–

उप–विधि की धाराएँ	विद्यमान उपविधियाँ	प्रस्तावित संशोधन
25.	बोर्ड की कार्यावलियों या अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए सभी आवेदन विहित फारम में अधीक्षक के पास भेजे जायेंगे। यह फारम बोर्ड के लेखापाल से '' 25 पैसे'' देकर प्राप्त किया जा सकेगा।	उप–विधि की धारा–25 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''25 पैसे'' शब्द एवं अंक '' दस रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
26.	बोर्ड अथवा समिति अथवा किसी निबंधित न्यास के अभिलेख या कार्यवाहियाँ की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, बोर्ड का अधीक्षक, अध्यक्ष के निदेश से ''25 पैसे'' प्रति 100 शब्दों या उसके भिन्नांक के लिये, चाहे कार्यवाहियाँ अथवा अभिलेख अंग्रेजी में हों या किसी भारतीय भाषा में और तीन पृष्ठों तक के लिये एक रूपया तथा तीन पृष्ठों से ऊपर हर अतिरिक्त पृष्ट के लिये ''50 पैसे'' के हिसाब से नकल करने की फीस चुकाने पर देगा। इस उपविधि के प्रयोजनार्थ चार अंक एक शब्द में गिने जायेंगे।	उपविधि की धारा–26 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''25 पैसे'' शब्द एवं अंक ''पाँच रूपया'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे और शब्द ''किसी भारतीय भाषा में'' और तीन पृष्ठों तक के लिये एक रूपया तथा तीन पृष्ठों से ऊपर तीन अतिरिक्त पृष्ठ के लिए ''50 पैसे'' शब्द ''प्रति पृष्ठ दस रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
27.	(क) आवेदन किये गये प्रथम लेख्य प्रविष्ट के लिये देय शुल्क अथवा यदि केवल एक लेख्य या प्रविष्ट के लिए आवेदन किया गया हो तो उस लेख्य या प्रविष्ट के लिए देय शुंल्क। रू0 पै0 1. 00	(1) उप–विधि की धारा–27 की कंडिका (क) में शब्द एवं अंक ''रूपये 1.00'' शब्द एवं अंक ''50.00 रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
	(ख) आवेदन में सम्मिलित और उसी विषय संबंधी प्रथम को छोड़कर प्रत्येक अतिरिक्त लेख्य या प्रविष्ट के लिये देय शुल्क । 0. 80	(2) उप–विधि की धारा–27 की कंडिका (ख) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''80 पैसे'' शब्द एवं अंक ''25.00 रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
	टिप्पणी :–यदि सभी कागजात एक साथ संचिकाबद्ध हो और और एक ही अभिलेख हों तो अन्वेषण शुल्क एक रूपया लगेगा।	(3) उप–विधि की धारा–27 की टिप्पणी में प्रयुक्त अन्वेषण शुल्क के बाद शब्द एवं अंक '' एक रूपये'' शब्द एवं अंक ''50.00 रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
	(ग) जब पक्ष को यह ज्ञात न हो कि पिछले कौन से दो वर्षों या अधिक वर्षों से सम्बन्धित लेख्य या प्रविष्ट हैं तो पहले वर्ष को छोड़कर अन्य प्रतिवर्ष के लिए अभिलेख अन्वेषण का शुल्क। 0. 50	(4) उप–विधि की धारा–27 की कंडिका (ग) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''50 पैसे'' शब्द एवं अंक ''50. 00 रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
29	निरीक्षण–फीस–धार्मिक न्यास के किसी अभिलेख या पंजी के निरीक्षण के लिए दिया गया आवेदन–पत्र, अध्यक्ष के आदेश पर अधीक्षक द्वारा निरीक्षण में लगनेवाले प्रतिदिन या उसके किसी भाग के लिये एक रूपया का भुगतान करने पर स्वीकृत किया जायेगा।	उप–विधि की धारा–29 में प्रयुक्त शब्द ''भुगतान करने पर'' के पहले शब्द 'एक रूपया'' शब्द '' दो सौ रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
31.	बोर्ड के कार्यालय में निम्न पुस्तें और पंजियाँ रखी जायेंगी :– (xxix) भरपाई पंजी।	उप–विधि की धारा–31 के क्रम संख्या(xxix) के बाद निम्नलिखित नया क्रम संख्याएँ (xxx) एवं (xxxi) जोड़ी जायेगी :– ''(xxx)'' बेची गयी अचल सम्पत्तियों की पंजी।

उप–विधि की धाराएँ	विद्यमान उपविधियाँ	प्रस्तावित संशोधन
		''(xxxi) '' भरवाई न्यास की संपत्तियों की बिक्री के लिए दिये गये सभी आदेशों की पंजी।
35.	धार्मिक न्यास क`लेख खातों का अंकेक्षण प्रति वर्ष अथव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अल्प अन्तराविधियों पर परीक्षा होनी चाहिए। धारा 63 की उप धारा (4) की अपेक्षाओं के साथ–साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्न ब्योरे रहेंगे।	उप–विधि की धारा–35 के बाद निम्नलिखित नयी उप–धारा–35क जोड़ी जायेगी :– ''35क– यदि पर्षद् किसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक, जिसके लिए अंकेक्षण किया जाना हो, न्यास के अंकेक्षण के लिए अहर्ता प्राप्त अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं कर पाता है, तब न्यास एक अहर्ता प्राप्त चार्टर एकाउंटेन्ट, न्यास की लेखा के अंकेक्षण हेतु, नियुक्ति करेगी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अंकेक्षण–प्रतिवेदन अवश्य प्रस्तुत करेगी। अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा पर्षद् द्वारा की जायेगी और तद्नुसार आवश्यक अनुदेश निर्गत किये जायेंगे। अध्यक्ष को नया अंकेक्षण कराने का अधिकार होगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि पर्षद् को प्रस्तुत किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन न्यास की आय–व्यय का सत्य प्रतिबिम्ब नहीं है।''
37.	बोर्ड के न्यासियों द्वारा प्राप्त सभी धन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया जायेगा और यदि न्यास के प्रधान कार्यालय के निकट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कोई शाखा न हो तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में परिभाषित और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जायगा।	उप–विधि की धारा 37 की प्रथम कंडिका में प्रयुक्त शब्द ''और यदि न्यास के प्रधान काार्यालय के निकट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कोई शाखा न हो'' शब्द '' या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक'' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेग।
38.	निम्नलिखित पदाधिकारियें और सेवकों को उनके पद के सामने दिए गए वेतन के अनुसार पर्षद् नियुक्त कर सकती है ।	उपविधि की धारा–38 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी। ''38 निम्नलिखित पदाधिकारियों और सेवकों को उनके पद के सामने दिए गए वेतन के अनुसार पर्षद् नियुक्त कर सकती है:–
	1. अधीक्षक– रू0 2400-75-2850-100-4150 2. दो सहायक अधीक्षक – रू0 2000-60-2300-75-3200-100-3800 3. एक विधि पदाधिकारी– 4. एक वरीय अंकेक्षक– रू0 1640-60-2600-75-2900	1. अधीक्षक– रू0 7500-250-12000 2. दो सहायक अधीक्षक – रू0 5500-175-9000 3. एक विधि पदाधिकारी– रू0 5500-175-9000 4. एक वरीय अंकेक्षक– रू0 5000-150-8000

उप–विधि की धाराएँ	विद्यमान उपविधियाँ	प्रस्तावित संशोधन
	5. चार अंकेक्षक– रू0 1600-50-2300-60-2780	5. चार अंकेक्षक– रू0 5000-150-8000
	6. दस निरीक्षक– रू0 1600-50-2300-60-2780	6. आठ निरीक्षक– रू0 5000-150-8000
	7. एक आशुलिपिक– रू0 1500-50-2150-60-2750	7. दो आशुलिपिक– रू0 4500-125-7000
	8. एक प्रधान लिपिक– रू0 1500-50-2150-60-2750	8. एक प्रधान लिपिक– रू0 4500-125-7000
	9. एक लेखापाल–1500-50-2150-60-2750	9. एक लेखापाल– रू0 4500-125-7000
	10. पाँच सहायक– रू0 1400-40-1800-50-2300-60-2600	10. पाँच कम्प्यूटर ऑपरेटर– रू0 4500-125-7000
	11. तीन टंकक– रू0 1400-40-1800-50-2300-60-2600	11.
	12. एक रोकडिया– रू0 1400-40-1800-50-2300-60-2600	12. एक रोकडिया– रू0 3200-85-4900
	13. सात विधि अभिकर्त्ता– रू0 1400-40-1800-50-2300-60-2600	13. आठ विधि अभिकर्त्ता– रू0 3200-85-4900
	14. तेरह लिपिक– रू0 1400-40-1800-50-2300-60-2600	14. 12 निम्नवर्गीय लिपिक– रू0 3200-85-4900 (टंकक, नेमी लिपिक एवं लिपिक का परिवर्तित पदनाम)
	15. एक नेमी लिपिक– रू0 975-25-1150-30-1540	15
	16. एक अभिलेखापाल रू0 950-20-1150-25-1400	16. एक अभिलेखापाल रू0 2550-55-2660-60-3200
	17. एक जमादार– रू0 950-20-1150-25-1400	17.
	18. एक ट्रेजरी गार्ड– रू0 950-20-1150-25-1400	18.
	19. एक पोस्टल पिउन– रू0 950-20-1150-25-1400	19. एक पोस्टल पिउन– रू0 2550-55-2660-60-3200
	20. एक दफ्तरी– रू0 950-20-1150-25-1400	20. एक दफ्तरी– रू0 2550-55-2660-60-3200
	21. एक डुपलीकेटिंग मशीन चालक– रू0 950-20-1150-25-1400	21. एक फैक्स मशीन चालक रू0 2550-55-2660-60-3200
	22. एक रात्रि प्रहरी– रू0 950-20-1150-25-1400	22. तीन प्रहरी– 2550-55-2660-60-3200 रू0
	23. एक केयर टेकर रू0 950-20-1150-25-1400	23.
	24. एक कार चालक (लाईट) – रू0 950-20-1150-25-1400	24. दो कार चालक (लाईट) – रू0 2550-55-2660-60-3200
	25. सतरह पीउन– रू0 800-15-950-20-1150	25. दस पीउन– रू0 2550-55-2660-60-3200

उप–विधि की धाराएँ	विद्यमान उपविधियाँ	प्रस्तावित संशोधन
	उनको जीवन–यापन भत्ता उसी क्रम में मिलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समान श्रेणी के पदाधिकारियों और सेवकों को मिलता है। उक्त वेतनमान 1 जनवरी, 1986 (01.01.1986) से लागू होगा। वेतन निर्धारण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू रहेगा।	(क) उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की शैक्षणिक अहर्ता, उम्र आदि वही होगी, जो समान पद वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है।
	(क) उक्त पदों पर बहाली के लिये उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र आदि वही होनी चाहिए जो समन वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं सेवकों के लिए आवश्यक है।	(ख) पर्षद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का पुनरीक्षण कर सकती है।
38क.		उपविधि की धारा–38 के बाद निम्नलिखित धारा–38क जोड़ी जायेगीः– ''38क (क) यदि न्यायाधिकरण के पीठासीन न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हों तो उन्हें वेतन एवं उपलब्धियाँ अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रावधानों के अनुसार पेंशन राशि घटाकर प्राप्त होंगी, लेकिन यदि वे अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश हों तो वे अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर अपना वेतन पाने के हकदार होंगे। (ख) जब अधीक्षक अवकाश प्राप्त न्यायिक या प्रशासनिक पदाधिकारी हों तो वे भी अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर अपना वेतन पाने के हकदार होंगे।
43.	बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग एवं पालन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।	(1) उप–विधि की धारा–43 के खण्ड (ध) में प्रयुक्त शब्द ''अस्थायी न्यासियों'' के बाद निम्नलिखित नये शब्द जोड़े जायेंगे :– ''और धारा 28(2)(ज) के अधीन न्यासधारी के अपसारण के रिक्त स्थान पर न्यासधारी की नियुक्ति संस्थापक की इच्छा के शर्त्तों पर या पर्षद् एवं न्यास के बीच आपसी सहमति से करना।''
43ल.		(2) उप–विधि 43 के खण्ड (ल) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे :– ''(व) विवाद के किसी गम्भीर मामले या गम्भीर आरोपों की जाँच–पड़ताल करना एवं संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् निर्णय लेना ; (श) किसी सार्वजनिक या निजी न्यास से संबंधित सभी

उप–विधि की धाराएँ	विद्यमान उपविधियाँ	प्रस्तावित संशोधन
		विवादों को विनिश्चित करना ; (ष) अधिनियम की धारा–32(1) के अधीन न्यास कमिटी का गठन करना ; (स) न्यासी या न्यास के धार्मिक कार्यो से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति को न्यास का अन्य सक्रान्त सम्पत्ति की वापसी के लिए अथवा अधिक्रमण हटाने के लिये या उपबंध के किसी अधिनियम के अधीन सम्पत्ति विवाद के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की अनुमति प्रदान करना।
55.	(घ) अधिनियम के अधीन समितियों की नियुक्ति।	उप–विधि की धारा–55 (घ) अधिनियम के अधीन परियोजनाओं की व्यवस्था एवं समितियों की नियुक्ति।
55क.		नयी धारा–55क जोड़ी जायेगीः– ''55क–बिहार राज्य में प्रकाशित होनेवाले किसी पत्र में ऐसे सभी आदेशों के प्रकाशन के बदले में यदि पर्षद् अपना स्वयं इस तरह का बुलेटिन पूर्ण सूचनाओं के साथ प्रकाशित करता हो तब वह अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार अधिकारिक बुलेटिन समझा जायेगा।''

परिशिष्ट–II

फारम I

(बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स रूल्स, 1952 के नियम 8 और 15 देखें)

1	क्रम संख्या	(1) उप–विधि का परिशिष्ट– II फारम 1 के क्रमांक 1 में उल्लिखित शब्द ''क्रम संख्या'' शब्द ''पंजीयन संख्या'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
2.	न्यास का नाम	(2) उप–विधि का परिशिष्ट– II फारम 1 के कॉलम 12(क) एवं (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
3.	उस ग्राम, डाकघर, थाना, सबडिवीजन और जिले का नाम जिसमें यह अवस्थित हो (सबसे अधिक समीपी रेलवे स्टेशन भी)	''12. निम्न प्रकार दिखलाई जायः–
4.	प्रधान मठ या मन्दिर के पड़ोस के छोटे मठों या मन्दिरों के नाम और उनकी अवस्थिति।	(क) भू–सम्पत्तियों से आय।
5.	न्यासियों और प्रबंधकों के पते सहित नाम (नियुक्ति और पदावधि समाप्ति की तारीख सहित)	(ख) चढ़ावों से आय।
6.	ऐसे ब्यौरे कि संस्था का प्रशासन–न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के अधीन होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के तथा ऐसे ब्यौरे भी कि न्यासी और प्रबंधक के पद के उत्तराधिकार के संबंध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपलब्ध है कि नहीं।	(ग) विभिन्न फीस से आय। (घ) विक्रय आगम सेआय। (ड.) किराया से आय। (च) दान से आय।
7.	न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेख्यों के विवरण।	(छ) सरकार से किसी अनुदान या बैंक या किसी संस्था से आय। (ज) न्यास द्वारा संचालित संस्था से, कर्ज एवं सूद भुगतान के पश्चात् एक मुश्त अधिशेष राशि, यदि अधिशेष आयकर अधिनियम के प्रावधानों अधीन अग्रनीत नहीं किया हो।
8.	संस्थापक या दानदाता का नाम, यदि ज्ञात हो।	15 के बाद निम्नलिखित नया कॉलम15 'क' जोड़ा जायेगाः–
9.	न्यास के उद्देश्य	''15'क''' न्यास द्वारा स्थापित किसी संस्था का विस्तृत ब्यौरा।''
10.	न्यास द्वारा धारित चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के विवरण।	
11.	गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई अन्तरित या गठित चल और अचल सम्पत्तियों के विवरण।	
12.	वार्षिक आय, यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्न प्रकार दिखलाई जाये :– (क) सभी स्रोतों से आय और (ख) राजस्व, लगान, कर, स्थानीय अन्य उपकारों और 12.50 प्रतिशत प्रबंध के खर्च की कटौती के बाद शुद्ध आय।	
13.	वार्षिक व्यय– (क) न्यासियों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर (ख) स्थापना और कर्मचारी वर्ग पर (ग) धार्मिक कार्यो पर (घ) दानों के संबंध में (ड.) विविध मदों पर	
14.	अनुसरण किए जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण।	
15.	न्यास–सम्पत्तियों पर ऋणभारों के विवरण।	
16.	महत्वपूर्ण अन्य सूचना।	
17.	विशेष	

Proposed Amendments to the Bihar State Religious Trusts Board's Bye-Laws.

Sections		Existing Bye-Laws:		Proposed Amendments
25.		All applications for copies of proceeding or other records of the Board shall be made to the superintendent in the prescribed from which can be obtained from the Accountants of the Board on payment of 25p. only.		After the words "on payment of" the words"25p" shall be substituted by "rupees ten"
26.		Certified copies of the records proceedings of the Board or any committee or of any registered trust may be granted by the Superintendent of the Board under the directions of the President on a payment of a copying fee of 25 P. for every 100 words or a fraction thereof whether the proceedings or records are in English or in a Indian language, and a fee of one rupee up three pages and 50P. for every additional page above three pages. Four figures shall be reckoned as one word for the purpose of this law.		After the words "copying fee of" the words "25P" shall be substituted by "Rupees five" and after the words "an Indian language" the remaining words "and a fee of one rupee up to three pages and 50P. for every additional pages above three pages" shall be substituted by "and a fee of rupees ten for every page".
27.	a)	Fee payable for the first document or entry applied for or it only one document or entry is applied for then for the document or entry.	Rs. P 1 . 00	In sub section (a) of section 27 "Rs. 1.00" shall be substituted by "Rs. 50.00".
	b)	Fee payable for every document or entry other than the first included in the same application and connected with the same subject.	Rs. P 0 .50	In sub section (b) of section 27 "Rs. 0.50" shall be substituted by Rs.25.00".
		Note :- Only one search fee of one rupee need be paid for all papers filed together and forming a single record.		After the words "search fee of" the words "one rupee" shall be "Rs.50.00".

Sections	Existing Bye-Laws:		Proposed Amendments
	c) When the party does not know to which of the two or more years a document or entry belongs the fee for searching the records of every year other than the first.	Rs. P 0. 50	In sub section (c) of section 27 "0.50" shall be substituted by "Rs. 50.00".
29.	Inspection fee – An application for inspection of record or register of religious trust may be granted by the superintendent under orders of the President on payment of "one rupee for each day or part of a day spent on inspection.		After the words "on payment of" the words "one rupee" shall be substituted by the words "rupees two hundred"
31.	The following books and registers shall be kept in the office of the Board : (xxix) Acquittance Roll.		After serial no. (xxix) of bye-law 31 new serial nos. (xxx) and (xxxi) shall be added as follows: (xxx) Register of sold immovable properties. (xxxi) Register of all orders given for sale of trust properties.
35.	The accounts of religious trust shall be audited annually or at such intervals as the President may fix. The report of the auditor shall, in addition to the requirements of sub section (4) of section 63 contain the following particulars :		The following new bye-law 35 A will be added after 35 : "if the Board does not appoint any qualified Auditor for the audit of the trust by the end of the financial year for which the audit has to be conducted, the trust shall appoint a qualified Chartered accountant for the audit of the account of the trust and submit the audit report within six months from the expiry of the financial year without fail. The audit report shall be scrutinized by the Board and necessary instruction shall be issued accordingly. The President shall have power to get a fresh audit conducted, if

Sections	Existing Bye-Laws:	Proposed Amendments
		he is satisfied that the audit report submitted to the Board is not true reflection of income and expenditure of the trust".
37	All moneys received by the Board of trustees shall be deposited in the State Bank of India, and if there be no branch of the State Bank of India, near the Head office of the trust, then in a scheduled Bank as defined in the Reserved Bank of India Act, 1934 and approved by the President.	In the beginning para of section 37 after the words "deposited in the State Bank of India", the words "and if there be no Branch of State Bank of India near the Head office of the trust", shall be substituted by the following words "or in any nationalized Bank".
38.	The Board may appoint the following officers and employees in accordance with the pay scale noted against the posts :-	Section 38 Bye-Laws shall by substituted by the following :- "38. The Board may appoint the following officers employees in accordance with the pay scale noted against the post :-

Sections	Existing Bye-Laws:		Proposed Amendments
1.	One Superintendent- Rs. 2400-75-2850-100-4150	1.	One Superintendent – Rs. 7500-250-12000
2.	Two Assistant Superintendents Rs.2000-60-2300-75-3200-100-3800	2.	Two Assistant Superintendents – Rs. 5500-175-9000
3.	One Law Officer -	3.	One Law Officer- Rs. 5500-175-9000
4.	One Senior Auditor – Rs.1640-60-2600-75-2900	4.	One Senior Auditor – Rs. 5000-150-8000
5.	Four Auditors – Rs. 1600-50-2300-60-2780	5.	Four Auditors – 5000-150-8000
6.	Ten Inspectors - Rs. 1600-50-2300-60-2780	6.	Eight Inspector – 5000-150-8000
7.	One Stenographer – Rs. 1500-50-2150-60-2750	7.	Two Stenographer Rs. 4500-125-7000
8.	One Head Clerk – Rs. 1500-50-2150-60-2750	8.	One Head Clerk – Rs. 4500-125-7000
9.	One Accountants – 1500-50-2150-60-2750	9.	One Accountants – Rs. 4500-125-7000
10.	Five Assistant – Rs.1400-40-1800-50-2300-60-2600	10.	Five Computer Operators– Rs. 4500-125-7000
11.	Tree Typists – Rs.1400-40-1800-50-2300-60-2600	11.	
12.	One Cashier – Rs.1400-40-1800-50-2300-60-2600	12	One Cashier – Rs. 3200-85-4900
13.	Seven Law Agents – Rs.1400-40-1800-50-2300-60-2600	13.	Eight Law Agents – Rs. 3200-85-4900
14.	Thirteen Clerks – Rs.1400-40-1800-50-2300-60-2600	14.	Twelve Lower Division Clerks – Rs.3200-85-4900 (Converted Designation of Typist, Routine Clerk and clerk)
15.	One Routine Clerk – Rs. 975-25-1150-30-1540	15.	
16.	One Record Keeper – Rs. 950-20-1150-25-1400	16.	One Record Keeper – Rs.2550-55-2660-60-3200
17.	One Jamadar – Rs. 950-20-1150-25-1400	17.	
18.	One Treasury Guard – Rs. 950-20-1150-25-1400	18.	
19.	One Postal Peon – Rs. 950-20-1150-25-1400	19.	One Postal Peon – Rs.2550-55-2660-60-3200
20.	One Daftari – Rs. 950-20-1150-25-1400	20.	One Daftari - Rs.2550-55-2660-60-3200
21.	One Duplicating Machine Operator- Rs. 950-20-1150-25-1400	21.	One Fax Machine Operator – Rs.2550-55-2660-60-3200

Sections	Existing Bye-Laws:		Proposed Amendments
22.	One Night Guard – Rs. 950-20-1150-25-1400	22.	Three Guards – Rs.2550-55-2660-60-3200
23.	One Caretaker – Rs. 950-20-1150-25-1400	23.	
24.	One Car Driver (Light) – Rs. 950-20-1150-25-1400	24.	Two Car Drivers (Light) – Rs.2550-55-2660-60-3200
25.	Seventeen Peons – Rs. 800-15-950-20-1150 They will get subsistence allowance in same order which is admissible by the State Government to the officers and employees of the same grade. The aforesaid pay-scale will come into force from 1st January, 1986 (01.01.1986). For pay fixation the time fixed by the State Government will enforced. Educational Qualification, age etc. of the candidates for appointment to the said posts shall be same which are necessary for Government officers and employees getting equal pay.	25. (a) (b)	Ten Peons – Rs.2550-55-2660-60-3200 Educational qualification, age etc. of the candidates for appointment to the said posts shall be same which are necessary for Government officers and employees of the same posts. The Board may revise pay and allowances of the officers/employees with prior approval of the State Government ;
38A			38 A. After the bye-law 38 the following new bye-law 38 A shall be added- (a) If the Presiding Judge of the Tribunal is a retired High Court Judge, he will be getting salary and emoluments in accordance with the provisions for retired High Court Judges. But if he is a retired District Judge, he will be getting the last pay drawn minus pensions as his salary. (b) If Superintendent is a retired judicial or administrative officer, he, too, will be entitled to the last pay drawn minus pension as his salary.
43.	The powers and duties of the Board specified below shall be exercised and performed by the President.	(*i*)	In sub-clause (s) of the bye-law 43 after the words "temporary trustees" the

Sections	Existing Bye-Laws:		Proposed Amendments
			following new words shall be added:- "and to appoint trustees in vacancies created by the removal under section 28(2)(h) subject to the wishes of the founder or to a mutual compromise between the Board and the trust."
43(zii)		(*ii*)	After sub-clause (zii) the following provisions shall be added :- "(ziii) to enquire into any serious case of dispute or serious allegation and take a decision after hearing the concerned parties." "(ziv) to decide all disputes whether any trust is a public or a private trust" "(zv) may constitute a trust committee under section 32(1) of the Act:" "(zvii) to grant permission to the trustee or two persons interested in the trust for filing cases in Tribunal for the recovery of the alienated properties or for removal of the encroached trust properties or for the decision on the property disputes referred to it under any provision of the Act.
55d)	the appointment of committees under the Act.	55(d)	The settlement of schemes and the appointment of committees under the Act.
55 A			55A Instead of publishing all such orders in any paper in the State of Bihar, if the Board publishes them in its own bulletin, it shall be treated as the official gazette for publication of notifications, as required under the Act.

APPENDIX –II

FORM-I

[Vide Rules 8 and 15 of the Bihar Hindu religious trusts Rules 1952]

1 Serial No.	15. (1) In Serial No. 1 of Form 1 Written in Appendix-II of Bye laws, the words "serial No." shall be substituted by the words "registration.,"
2. Name of the Trust	(2) Column no. 12(A) and (B) of From-1 of Appendix-II of Bye Laws shall be substituted by the following :-
3. Name of the Village, P.O., P.S. Subdivision and district in which it is situated (also the nearest Railway Station)	"12. Shown as below :- (*a*) Income from landed properties. (*b*) Income from offerings. (*c*) Income from various fees.
4. Names of minor Maths or Temples appurtenant to the main Math of Temple and their situation.	(*d*) Income from sale proceeds. (*e*) Income from rent. (*f*) Income from donation.
5. Names of Trustees and Managers with their addresses date of appointment and termination of office.	(*g*) Income from any grant from the Government of Bank or any other institutions.
6. Particulars as to whether the institution is administered under a scheme settled by the court or by Trustees without any such control and particulars are as to any provision in any document or custom, if any, regarding succession to the office of the Trustees or managers.	(*h*) Consolidated surplus amounts from institutions run by the trust after deduction all loans and interests, if the surplus is not carried forward under provisions of the Income Tax Act."
7. Particulars of document about the origin or creation of Trust.	(3) The following new column 15A shall be added after column 15 :-
8. Name of Founder or Donor, if known.	"15A. Details of any institution established by the Trusts."
9. Objects of the Trust.	
10. Details of properties both movable and immovable held by the Trust.	
11. Details of properties both movable and immovable sold transferred, settled during the last financial year.	
12. Annual income (This should be of the preceding financial year and should be shown as below).	

(*a*) income from all sources; and
(*b*) net income after deducting the amount payable as revenue, rent, taxes, local and other cesses and cost of management at 12 ½ percent.

13. Annual Expenditure :
a) On remuneration to Trustees and Managers.
b) On establishment and staff.
c) On religious objects.
d) On charitable objects.
e) On miscellaneous items.

14 Particulars as to important customs and usages followed

15. Particulars of encumbrances on the trust properties.

16. Any other information of importance.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 311-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in